

क्र. सं.  
दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

27-1-2022

पत्रावली पेश हुई। टी डिस्ट्रिक्ट एड वार एगो जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किया जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 11-2-2022 को पेश हो।

11/2/2022

पत्रावली आज दिनांक 11/2/2022 को पेश हुई। टी डिस्ट्रिक्ट एड वार एगो जयपुर द्वारा कार्य स्थगित जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/3/2022 को पेश हो।

24/2/2022

पत्रावली आज दिनांक 24/2/2022 को पेश हुई। टी डिस्ट्रिक्ट एड वार एगो जयपुर द्वारा कार्य स्थगित जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/4/2022 को पेश हो।

28/4/2022

व्यापक पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा उपर शर्मा को अधीन करने के अन्तिम बहस हेतु समय-चर्चा। व्यापक के समय दिया जाता है। पत्रावली वकील को अन्तिम बहस ति 23/5/2022 को पेश हो।

सहायक जज  
जयपुर

8/6/2022

पत्रावली आज दिनांक 8-5-2022 को पेश हुई। टी डिस्ट्रिक्ट एड वार एगो जयपुर द्वारा कार्य स्थगित जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 26-2022 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई वकील शर्मा (उपस्थित) शरण पर शर्मा अधीन करने की बहस सुनी गई। बहस किये गये तर्कों व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अग्रणीगत व्यवस्था तामील अनुपस्थित रहने पर डिग्री 10/2/2022 के एक पक्षीप कार्यवाही की जा चुकी है। वह स्वामी निषेधाज्ञा से संबंधित है।

न्यायालय अध्यापक कलम 27 के अन्तर्गत धु. 50/37  
फद अहकाम

वैरग बनाम काबूरान

33/2017 ता

क्रमांक या दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>जिसमें नदी के अधिकार तय हो चुके हैं। प्रकृत दृष्ट्या प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति घापी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः अजापीठ के विवादित भूमि ख. नं. 48 के ग्राम सादिलयपुर तहसील झीर जिला जयपुर के सम्बन्ध में ता फैसल वाड सीमाओं में निम्नी प्रकार की देखभाल/राजी नदी के पत्रावली निर्णित शुभा होकर संलग्न मूल वाड है।</p>	<p>सहायक फदामदार आफिस नं. 50/37</p>